GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

RBE No.218 /2000
SC No.1 to MC No.40
New Delhi, dated 18-12-2000

No. E(NG)I/97/DP/12.

1. The Managing Director,
 IRCON International Ltd.,
 Palika Bhawan, Sector 13,
 R.K. Puram, New Delhi-110 066.

2. The Managing Director,
 RITES,
 New Delhi House,
 27, Barakhamba Road,
 New Delhi-110 001.

3. The Managing Director,
 CONCOR,
 Le Meridian Commercial Tower,
 2nd Floor, Raisina Road,
 New Delhi.

4. The Managing Director,
 CRIS,
 Chanakyapuri,
 New Delhi-110 021.

Sub:- Extension of deputation period of non-gazetted Railway employees with Public Sector Undertakings beyond 3 years.

In terms of the instructions contained in this Ministry's letter No.E(NG)I/89//DP/24 dated 1.11.1989, as reiterated in individual cases from time to time, the proposals for obtaining competent authority's approval to the extension of deputation period of non-gazetted Railway employees with RITES/IRCON/CONCOR/CRIS are required to be submitted well before the expiry of the three-year or four-year period, as the case may be. It has been specifically laid down that such proposals should be made to the Board by the borrowing organisation along with concurrence for such extension from the Zonal Railway/Production

.....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 218 /2000
एम सी सं. 40 का I एस सी सं. 1

सं. ई(एन जी)I/97/डी पी/12

नई दिल्ली, दिनांक: 18.12.2000

1. प्रबंध निदेशक,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
पालिका भवन, सेक्टर 13,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066.

2. प्रबंध निदेशक,
राइट्स,
न्यू दिल्ली हाऊस,
27, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली-110001.

3. प्रबंध निदेशक,
कॉनकोर,
ली मेरीडियन कर्मिशयल टावर,
दूसरा तल, रायसीना रोड,
नई दिल्ली.

4. प्रबंध निदेशक,
क्रिस,
वाणक्यपूरी,
नई दिल्ली-110021.

विषय :- सरकारी उपक्रमों में अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि 3 वर्ष से आगे बढ़ाना.

रेल मंत्रालय के दिनांक 1.1.1939 के पत्र सं. ई(एन जी)I/89/डी पी/24 में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार जिन्हें अलग-अलग मामलों में समय-समय पर दोहराया गया है, राइट्स/इरकान/कॉनकोर/क्रिस के साथ अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रस्ताव मामले के अनुसार, तीन वर्ष या चार वर्ष की अवधि समाप्त होने से काफी पूर्व प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है. यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया है कि ऐसे

...2/-

Unit concerned, at least three months before the expiry of the sanctioned deputation period. In no case should competent authority's approval be taken for granted or presumed and the employee should invariably be repatriated if approval for extension is not received before expiry of the approved period of deputation.

2. However, it has come to the notice of the Board that -

(a) Proposals are not submitted in due time;

(b) Relevant columns in the prescribed proforma are left blank;

(c) The employees on deputation are shifted from one project to another;

(d) Concurrence of the parent Railway/PU is not obtained before sending the proposal to the Board;

(e) Instructions of the Ministry to repatriate the employee concerned, wherever proposals for extension are not approved, are disregarded;

3. In a recent case, the Minister of Railways has taken a serious view of the lapses brought out above. The Ministry of Railways, therefore, wish to reiterate that their extant instructions on the subject must be scrupulously observed without any default. A mechanism should also be devised to ensure that unauthorised extension of deputation terms do not occur in future.

4. Please acknowledge receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

.....3/-

प्रस्तावों को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाइयों से ऐसी अवधि को बढ़ाने की सहमति के साथ आदाता संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि के समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पूर्व बोर्ड को भेजे जाएं. यदि प्रतिनियुक्ति की अनुमोदित अवधि की समाप्ति से पूर्व अवधि बढ़ाने का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन किसी भी स्थिति में स्वीकृत अथवा सत्य नहीं माना जाना चाहिए और कर्मचारी को अनिवार्य रूप से वापस कर देना चाहिए.

2. बहरहाल, बोर्ड के यह नोटिस में आया है कि :-

(क) प्रस्ताव उचित समय में नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं;

(ख) निर्धारित प्रोफार्मा में संबंद्ध कॉलम खाली छोड़ दिए जाते हैं;

(ग) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को एक परियोजना से दूसरी परियोजना में स्थानांतरित कर दिया जाता है;

(घ) बोर्ड को प्रस्ताव भेजने से पूर्व मूल रेलवे/उत्पादन इकाई की सहमति नहीं प्राप्त की जाती है;

(ङ) संबंधित कर्मचारी को वापस भेजने संबंधी मंत्रालय के अनुदेशों की, जहां कहीं अवधि बढ़ाने के प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया जाता है, अवहेलना की जाती है.

3. हाल ही के मामले में, रेल मंत्री जी ने उपर्युक्त गलतियों को गंभीर रूप से लिया है. अतः रेल मंत्रालय पुनः दोहराना चाहता है कि इस विषय पर मौजूदा अनुदेशों का बिना किसी चूक के ईमानदारी से अवश्य पालन किया जाना चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए एक क्रिया-विधि भी निकाली जानी चाहिए कि भविष्य में प्रतिनियुक्ति शर्तों का अनाधिकृत विस्तार न हो.

4. कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुलाई)
संयुक्त निदेशक स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड.

...3/-

No.E(NG)I-97/DP/12 New Delhi, dated 18 .12.2000

Copy to: The General Managers(P), All Indian Railways & Production Units, DG/RDSO etc. They may ensure that, if approval for extension of the concerned employee is not received before the expiry of the sanctioned deputation period, then the employee is got repatriated immediately.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

No.E(NG)I/97/DP/12 New Delhi, dated 18 .12.2000

1. The General Secretary, All India Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E , Rail Bhavan, New Delhi(with 35 spares).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No. 256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary / Railway Board.

Copy to:-

PSs to MR,MSR(D),MSR(OR)
PPSs to CRB, FC,MS,MM,MT,ML,ME.
PPSs to AM(S),DG/RHS,DG/RPF, ADG(DS), ADV(IR).
PSs to EDE,EDV,EDE(N),EDE(Res),EDA,EDE(RRB)
EDPC-I&II,D(MPP),DPC,DE(Res),JDE(R) I&II,JDE(Rep)III
JDE(D&A), JDPC,JDE(L),DD(Code Revision), DDE(LR)I,
JDE(N)II, JDE(N)-III,E(NG)II,E(O)III,E(GR)II,E(Rep)I, II&III,
E(SCT)I&II, E(MPP),SEC(E), PR Branch, E(G) with two spares,
AC-III, Code Revision Cell (with 5 spares).

सं. ई(एन जी)I-97/डी पी/12 नई दिल्ली, दिनांक: 18.12.2000

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां, महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. आदि. वे सुनिश्चित करें कि यदि संबंधित कर्मचारी की अवधि बढ़ाने का अनुमोदन स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त नहीं होता है तब कर्मचारी को तुरन्त वापस भेज दिया जाए.

(जे. एस. गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्था. (अराज.),
रेलवे बोर्ड.

सं.ई(एन.जी)I-97/डी.पी/12 नई दिल्ली, दिनांक: 18.12.2000

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित:-

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं.256-ई रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.